भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 की घोषणा के उपरान्त दिनांक 04.01.2017 को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस का कार्यवृत्त ।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के परिपत्र संख्या 18/सी0ई0ओ0–2 लखनऊ दिनांक 04.01.2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 की घोषणा के उपरान्त दिनांक 04.01.2017 को जनपद स्तर पर प्रेस कान्फ्रेस आयोजित की गयी, जिसमें सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों को विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रेस कान्फ्रेंस में अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र सं0 2090/नि0का0–2016 दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से जनपद में समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं मंत्री को कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परिपत्र सं0 2592/सी0ई0ओ0–1 दिनांक 09 दिसम्बर,2016 के माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता तथा आयोग द्वारा निर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रतियॉ उपलब्ध करायी जा चुकी है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

प्रेस कान्फ्रेंस में अवगत कराया गया कि कार्यालय के पत्र संख्या 2264/जि0नि0का0–वि0स0सा0नि0–2016 दिनांक 01 जनवरी, 2017 के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 76/अनुदेश/2013/ ईईपीएस/खण्ड–IV दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दौरान अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने एवं तत्संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं, के अनुपालन हेतु समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्रियों को उक्त परिपत्र की प्रतियॉ अनुपालनार्थ उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रेस कान्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को निर्वाचन कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या के इण्टरनेट के जरिये त्वरित समाधान हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त ई–समाधान एवं ई–सुविधा जैसी इण्टरनेट प्रणाली का उपयोग करने के संबंध में विस्त्रत रूप से अवगत कराया गया।

प्रेस कान्फ्रेंस में यह भी अवगत कराया गया कि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस के आदेश सं0 1128/न्याय सहायक/धारा–144द0प्र0सं0–2017 दिनांक 04.01.2017 के द्वारा जनपद में दिनांक 04.01.2017 से दिनांक 04.03.2017 तक दण्ड प्रकिया संहिता की धारा – 144/144 (क) लागू कर दी गयी है, जिसमें जनपद में निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सकुशल निर्वाचन प्रकिया सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से जन सामान्य एवं समस्त राजनेतिक दल आदि को निम्नलिखित प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित किया गया है:–

1. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कार्यकर्त्ता कलैक्ट्रेट परिसर/मतदान स्थलों/मतगणना स्थल/अन्य सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध/शस्त्र साथ नहीं ले जायेगा तथा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही उत्तेजक एवं अशि ट भाषा में भाषण आदि देगा और न आम जनता/व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
2. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें या अनर्गल खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा या करायेगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गो, साम्प्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।
3. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा। यह प्रतिबन्ध शादी, बारात एवं शब यात्राओं पर लागू नहीं होगा।

4. कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।

5. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों/मतदान स्थलों पर किसी के प्रति अपमान जनक/अशिष्ट भाषा अथवा गालियों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।

6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, मतदान स्थलों एवं मतगणना स्थल पर ईंट, पत्थर, रोड़े आदि फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा।

7. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, मतदान स्थलों एवं मतगणना पर बन्दूक, रायफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे–तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं।

8. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल, मतदान स्थलों एवं मतगणना स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा।

9. कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे–रेल, रोडवेज, सड़क यातायात आदि विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे–महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा।

10. कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं तथा दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी कार्यालयों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही उसके लिए किसी को प्रेरित करेगा।

11. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक, शिक्षण संस्थाओं आदि स्थलों पर न तो आतिशबाजी का प्रयोग करेगा न ही करायेगा।

12. कोई भी व्यक्ति ऐसे पम्पलेट/पर्चे, बोर्ड आदि का प्रकाशन, वितरण आदि नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुँचाने की आशंका होती हो।

13. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा, न करने के लिये प्रेरित करेगा।

14. किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। किसी भी प्रस्तावित सभा/सभा के लिये लाउडस्पीकर हेतु सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

15. किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मन्दिर, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

16. कोई भी व्यक्ति सड़क पर न तो मंच बनाकर वक्तव्य देगा और न ही सड़क को खोदकर स्वागत द्वार आदि बनायेगा।

17. किसी भी अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति पर या किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवारों आदि पर बैनर, हैण्ड बिल पोस्टर चिपकाने, नारे आदि को ना ही लिखेगा और न लिखवायेगा।

18. किसी भी उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके समर्थक द्वारा अधिक तेज आवाज वाले लाऊड स्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक उपरोक्त लाऊड स्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी व्यक्ति द्वारा राजकीय कार्यालय, धार्मिक स्थान, विद्युत, टेलीफोन विभाग आदि की दीवारों/खम्भों इत्यादि पर न तो किसी भी प्रकार की चुनाव सम्बन्धी नारे/स्लोगन आदि लिखे जायेगें और ना ही पोस्टर/होर्डिग आदि लगाये जायेंगे। किसी भी राजनैतिक दल या

प्रत्याशी को ध्वजदंड बनाने, ध्वज टॉगने, सूचनाये चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिये किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार आदि का किसी भी प्रकार से उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी प्रत्याशी/व्यक्ति के विरूद्ध किसी की सम्पत्ति के विरूपण की कोई शिकायत प्राप्त होती है। तो उसके विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 425/426/427/433 एवं द0प्र0संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

20. कोई भी व्यक्ति/पक्ष/संस्था अथवा राजनैतिक पार्टी ट्राली/ट्रैक्टर आदि पर रंगशाला का आयोजन आचार संहिता लागू रहने तक न ही करेगा और न ही करायेगा।

21. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचन के दौरान निर्वाचकों को डराने, धमकाने, भयभीत करने, शक्ति या बाहुबल का इस्तेमाल करने, निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण करने, उपहार देने पर आई0पी0सी0 की धारा 171 ख और 172 ग एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार जनपद में सकुशल निर्वाचन प्रकिया सम्पादित कराये जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्राप्त निर्देशों से सभी मीडिया कर्मियों को प्रस कान्फ्रेंस के दौरान विस्तार से अवगत कराया गया।

/

(ए0एच0कर्नी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हाथरस।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस।

संख्या 2305 /जि0नि0/2017 दिनांक :04 जनवरी, 2017

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला मंजिस्ट्रेट महोदय, हाथरस की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से कि उक्त कार्यवृत्त की प्रति मीडिया कर्मियों को उपलब्ध करायें।
3. प्रभारी अधिकारी (आदर्श आचार संहिता)/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद हाथरस।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
हाथरस।